न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

...सीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
...पत्र : 139 / 2009
...य दिनांक : 11.07.2024
...हरा पिता महादेव मीणा (दौराने दावा फौत)
1 श्रीमती मोना पत्नि स्व. श्री जवाहरा
2 सत्नारायण पुत्र स्व. श्री जवाहरा
3 सुरेश पुत्र स्व. श्री जवाहरा
4 शंकर पुत्र स्व. श्री जवाहरा
...वान सहाय पुत्र स्व. महादेव मीणा
...नारायण पुत्र स्व. श्री फूलचन्द
...केश स्व. श्री फूलचन्द
...तासी देवी स्व. श्री फूलचन्द समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम वाटिका तहसील ...गानेर जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

...हरू पुत्र स्व. नानू (दौराने दावा फौत)
1 महेश पुत्र स्व. टिकटों
2 बंजरग पुत्र स्व. टिकटों
3 धन्नालाल पुत्र स्व. मोहरू
4 गीता पुत्र स्व. टिकटों
5 बरजी पुत्र स्व0 मोहरू
6 सूजा पुत्र स्व. श्री मोहरू
...ोटू पुत्र स्व. श्री नानू (दौराने दावा फौत)
1 मीठालाल दत्तक पुत्र स्व. छोटू
...जीता पुत्र स्व सलमा मीना
1 कल्ली देवी पतनी स्वाव रंजीता
2 प्रहलाद पुत्र स्व. रणजीता
3 मोहन पुत्र स्व. रणजीता
4 नेतराम पुत्र स्व. रणजीता
5 रमेश पुत्र स्व. रणजीता
6 पप्पुदी पतनी स्वाव पप्पू मीना
7 महेंद्र पुत्र स्व. पप्पू मीना
...त जाति मीणा, निवासी ग्राम पोस्ट वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
...राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर
...प पंजीयक सांगानेर प्रथम सांगानेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण की ओर से पेश वाद का विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के ...तेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 4069 रकबा 2 बीघा 5 ...विस्वा, जिसके हाल खसरा नम्बर 3979 रकबा ... ग्राम वाटिका तहसील ...सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है ... बनाकर सुरक्षित ...र रखा था। वादग्रस्त कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 4069 रकबा 2 बीघा 5 ...न्य कृषि भूमि पर वादीगण निरन्तर बिना किसी ... व हस्तक्षेप के तन्हा ...काबिज काश्तकार होकर उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। वादग्रस्त कृषि भूमि साबिक ...खसरा नम्बर 4069 की चतुर्थ सीमाओ में उत्तर दिशा कि ओर साबिक खसरा ...म्बर 3990, पूर्व दिशा कि ओर खसरा नम्बर 4000, दक्षिण दिशा कि ओर खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:40:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रभारी नकल शाखा
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

फोटो प्रति सही मिलान की
हस्ताक्षर लिपिक

उपखण्ड अधिकारी

पश्चिम दिशा की ओर आम रास्ता, की सीमा लगती हुयी है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में भू प्रबन्ध विभाग ने सन् 1989 से 2009 तक की भू प्रबन्ध कार्यवाही में भू प्रबन्ध कार कूनान ने गैर कानूनी तौर तरीके से मौके व कब्जे एवं राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस के विपरीत बिना आधार व अधिकार के साबिक खसरा नम्बर 4069 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा का परिवर्तित हाल खसरा नम्बर 3979 रकबा 0.52 हैक्टेयर कायम किया जो साबिक रकबा से 0.05 हैक्टेयर कम है तथा हाल नक्शा ट्रेस में हाल खसरा नम्बर 3979 का उत्तरी सीमा को कमी की जाकर नवीन खसरा नम्बर 3902, 3903 में 0.05 हैक्टेयर भूमि दक्षिणी सीमा की ओर शामिल कर बडा दिया है। ओर इस प्रकार खसरा नम्बर 3902, 3903 रकबा 1. 67 हैक्टेयर कायम कर प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 के खाते में अंकित कर दिया गया जो पूर्णतया गलत है तथा वादीगण के अधिकारो के मुकाबले प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी है। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 3979 रकबा 0.57 हैक्टेयर में से 0.05 हैक्टेयर भूमि उत्तरी सीमा की ओर कम प्रतिवादी संख्या 1, 2, व 3 की खातेदारी की भूमि वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 3902, 3903 में हैक्टेयर कृषि भूमि दक्षिणी सीमा की अनाधिकृत बडाकर प्रतिवादी की खातेदारी में होने के कारण प्रतिवादीगण ने बदनियती पूर्वक वादीगण की वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 3979 की मेड तोडकर दिनांक 05–10–2009 को जबरन प्रवेश कर मेड बनाने की कोशिश की जिसका वादीगण ने विरूद्ध किया ओर कहा की यह मेड आपने हमारी खातेदारी कब्जे की भूमि हाल खसरा नम्बर 3979 की उत्तरी सीमा के भू–भाग में बना रहे हो जो गलत है। इसलिये मेड को हटाये जो पूर्व में मेड बनी हुयी थी उसी स्थान पर पुनः लगाये, वादीगण के अनुरोध पर प्रतिवादीगण नही माने ओर कहा की हम इस मेड को नही हटायेगे तथा ना ही तुम्हे हटाने दूगा जो तुम्हे मेरे विरूद्ध कार्यवाही करनी हो सो करो। वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 3979 रकबा 0.57 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि उत्तरी सीमा का खसरा नम्बर 3902, 3903, में शामिल का गलत इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 1, 2, व 3 के नाम होने व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 के जबरिये गैर कानूनी तरीके से दिनाक 09–10–2009 को मेड तोड कब्जा करने की कार्यवाही करने के आधार पर विक्रय करने के लिये जयपुर के तीन चार अपरिचित व्यक्तियो को लाकर मौका दिखाकर नाप जोख कराने लगे तो इस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण के द्वारा वादग्रस्त भूमि का विक्रय करने का विरोध किया जिस पर प्रतिवादीगण नाराज हो गये और ऐलानिया धमकी दी की हम तो अविलम्ब विकय करेगे तथा निर्माण करेगे। वादीगण कमजोर है तथा कानून में विश्वास रखने वाले है इसलिये वादीगण अधिकारी है माननीय न्यायालय से वादग्रस्त भूमि में से अपने निहित खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाये तथा राजस्व भू–अभिलेखो में यथा जमाबंदी व नक्शा ट्रेस इत्यादि को दुरूस्त करवाये। तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, व 3 को बेदखल कर वास्तविक कब्जा प्राप्त करे एवं जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद करवाये कि वे वादीगण की खातेदारी की वादग्रस्त कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे। वादीगण को वाद कारण दिनांक 05–10–2009 को प्रतिवादी संख्या 1, 2, व 3 के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करने व दिनाक 09–10–2009 को विकय एवं निर्माण कार्य करने की धमकी देने एवं भू प्रबन्धक विभाग के द्वारा गलत इन्द्राज करने से उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को धारा 80 सी पी सी का नोटिस देना आवश्यक है किन्तु वाद अतिआवश्यक प्रकृति होने के कारण नोटिस देना सम्भव नही है जिसके लिये अलग से प्रार्थना पत्र बाबत छूट चाहने नोटिस वाद के साथ पेश किया जा रहा है।

अतः वाद मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री प्रदान की जावे:–

क– वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 4069 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा के नवीन परिवर्तित खसरा नम्बर 3979 रकबा 0.57 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा साबिक नक्शा ट्रेस में अंकित साबिक खसरा नम्बर 4069 की सीमाओ के अनुसार हाल खसरा नम्बर 3979 की सीमायें घोषित की जावे तथा तदानुसार सम्पूर्ण भू–राजस्व अभिलेखो को दुरूस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:40:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रभारी ... न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर ... प्रमाणित (...)

फोटो प्रति सही मिलान की

हस्ताक्षर लिपिक

... अधिकारी

ख– प्रतिवादी संख्या 1, 2, व 3 को वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 3979 रकबा 0.57 हैक्टेयर के उत्तरी सीमा के भू–भाग पर से वास्तविक रूप से बेदखल किया जाकर वास्तविक रूप से वादीगण को कब्जा दिलवाया जावे।

ग– प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, व 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जावे कि वह वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की वादग्रस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन अनुतोष क–में किया गया है में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना स्वंय करे ना ही अन्य करवाये, ना ही बेदखल करने की कोई कार्यवाही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। पत्रावली पेश हुई, दिनांक 04.07.2024 को वकील वादी उपस्थित, प्रतिवादीगण को बार–बार आवाज लगवाई गई, उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

वकील वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में दावे में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये वादीगण का वाद डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व वकील उभयपक्षों की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 4069 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 3979 रकबा 0.57 हैक्टेयर वाके ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर में स्थित है। वादग्रस्त भूमि में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सेटलमेन्ट सन् 1989 से 2009 के दौरान साबिक नम्बर 4069 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वाका हाल खसरा नम्बर 3979 रकबा 0.52 हैक्टेयर ही कायम किया जबकि साबिक रकबा 0.57 था इस प्रकार साबिक से 0.05 हैक्टेयर कम है। तथा हाल नक्शा ट्रेस मे हाल खसरा नम्बर 3979 का उत्तरी सीमा को कम की जाकर नवीन खसरा नम्बर 3902, 3903 में रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि दक्षिण सीमा में शामिल खसरा नम्बर 3902, 3903 का रकबा 1.67 हैक्टेयर बना कर अधिक रकबा कर दिया। जबकि भू–प्रबन्ध विभाग को पूर्व प्रविष्टियों को दौहराना चाहिए था। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सेटलमेन्ट के दौरान खसरा नम्बर 3979 रकबा 0.52 यानि रकबा 0.05 कम किया है जबकि उक्त खसरा का वास्तविक रकबा 0.57 है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सेटलमेन्ट के दौरान हुई गलत इन्द्राज को दुरूस्त करना उचित समझते है। वादीगण वाद डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर में स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 3903 का रकबा 0.05 हैक्टेयर कम कर साबिक खसरा नम्बर 4069 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 3979 का रकबा 0.52 से बढाकर रकबा 0.57 हैक्टेयर शुद्ध किया जाकर खातेदार वादीगण को काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा साबिक नक्शा ट्रेस में अंकित साबिक खसरा नम्बर 4069 की सीमाओं के अनुसार हाल खसरा नम्बर 3979 की सीमाये घोषित की जाती है। इस प्रकार भू–राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद का इन्द्राज दुरूस्त किया जावें। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 को आराजी खसरा नम्बर 3979 रकबा 0.57 हैक्टेयर उत्तरी सीमा के भू–भाग पर से वास्तविक रूप से बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा दिलवाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की रूकावट व मजहामत ना करे। पर्चा डिक्री पृथक से तैयार कर पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:40:02 IST
Reason: SelfAttested

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मजिस्ट्रेट
जयपुर द्वितीय, (सांगानेर)
जयपुर

फोटो प्रति प्रमाणित

प्रभारी नकल शाखा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

फोटो प्रति सही मिलान की

हस्ताक्षर लिपिक